

F-07-08 F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 902 का संशोधन सहित नवीकरण/ Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 902

> विषय / Sub: रबड़ काम्पाउंड हाइपैलन "Rubber Compound Hypalon"

यह घोषित किया जाता है कि विनिर्देश सं.: एचएम 4926 इश्यू –ई के लिए मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फाउंड्री व फॉर्ज प्रभाग, मेसर्स एच ए एल (बीसी), बेंगलूरु - 560 017 द्वारा विकसित तथा उत्पादित" रबड़ काम्पाउंड हाईपैलन" को संदर्भ सं. सेमिलैक/एफ-142/5070/टीए-902, दिनांक 20 मार्च 2001, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 902 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-902-3आर, दिनांक 27 दिसंबर 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक थी।

This is to state that the "Rubber Compound Hypalon" to the Specification No.: HM 4926 Issue - 'E', developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Foundry & Forge Division, M/s HAL (BC), Bengaluru - 560 017, was issued with Type Approval No.: 902, vide Reference No.: CEMILAC/F-142/5070/TA-902, dated: 20th March 2001. This Approval was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-902-3R, dated: 27th December 2013, with validity up to 31st December 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2023 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेज़ों के साथ आर सी एम ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल), सेमिलैक, डीआरडीओ, द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, (एफ एंड एफ) प्रभाग, बेंगलूर-560017से अनुरोध करना होगा।

पृष्ठ/Page 01 of 02

पृष्ठ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं/.TA No.: 902

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01^{st} January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31^{st} December 2023. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F- FOL), CEMILAC, DRDO, C/o Hindustan Aeronautics Limited (F & F) Division, Bengaluru - 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including user's performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/एफ-142/5070/टीए–902, दिनांक 20 मार्च 2001 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच(05)में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/F-142/5070/TA-902, dated: 20th March 2001 is amended as stated herewith:

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-902/4R

दिनांक / Date : 23 January 2019

फैक्ससं /Fax No: 080- 25230856

JR.

(गंतायत गौड़ा /G. Gouda) उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist स्थानामन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) Offg. Chief Executive (Airworthiness)